बिहार में भूमि विकास बैंकों द्वारा धन-राशियों का उपयोग

1400. **श्री अशोक नाथ वर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री 7 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1422 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों को दी गई धनराशि का सही-सही उपयोग किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि बोरिंग पम्प सेटों की आपूर्ति करने में किसानों से एक बहुत बड़ी धनराशि वसूल की गई है, और इसमें करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी अंतर्ग्रस्त है ; यदि हां, तो क्या "नाबार्ड" ने इस मामले की जांच की है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण विकास विभाग ने उक्त भूमि विकास बैंकों पर लगाये गये आरोपों की जांच की थी और बिहार सरकार को इस संबंध में कार्यवाही करने के लिये कहा गया था ; यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख) विभिन्न एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार राज्य भूमि विकास बैंक को दी गई धनराशि का सब मिलाकर सही-सही उपयोग किया गया है । तथापि, बिहार के दो जिलों में कुछ अनियमितताओं और बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारियों के भ्रष्टाचार प्रक्रिया में शामिल होने का तथाकथित आरोप ध्यान में आया है । यह तथ्य है कि 5 अश्व शक्ति वाले डीजल पम्प सैटों की आपूर्ति करने में किसानों से बड़ी धनराशि वसूल की गई है । राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने इस मामले की जांच-पड़ताल की है । जांच पड़ताल डीलरों, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक के अधिकारियों और अन्य एजेंसियों का इसमें शामिल होना पाया गया है । धोखाधड़ी में अंतर्ग्रस्त सही धनराशि की अभी जानकारी नहीं है । नाबार्ड ने भी अपनी जांच पड़ताल की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें बिहार राज्य भूमि विकास बोर्ड द्वारा पम्प सैटों के क्रयों में कदाचार का मामला बिहार सरकार के ध्यान में आया है । इस मामले की छान-बीन करवाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है ।

(ग) बिहार में बोरिंग उपस्करणों तथा पम्प सैटों की आपूर्ति में घपला करने के बारे में मिली शिकायत के आधार पर, ग्रामीण विकास विभाग ने आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को लिखा था । राज्य सरकार ने प्राथमिक जांच करने के बाद कहा कि छोटे किसानों के लिए कुओं में नल लगाने के कार्यक्रम में धनराशि का दुर्प्रयोग किया गया था, जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से पृथक एक विशेष कार्यक्रम था और राज्य के लघु सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई धन-राशि से चलाया गया था । राज्य सरकार ने अपने सतर्कता विभाग को इस मामले पर आगे जांच करने का कार्य सौंपा है । जिसकी रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है ।

Agreement with 1PJMC

1401. SHRI RAJNI RANJAN SAHU; Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Doordarshan prevented the Pak T.V. from signing an agreement with Indo-Pak Joint Management Committee (1PJMC) on Reliance World Cricket Cup; and

(b) if so, the reasons therefor?